रामलाल बनाम कल्याण

96/2018

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	14/5/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वक्त आवाज प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाई गई उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर ओ.आर.ओ. से भी हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)